

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/10175

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 31.12.25

अप्रार्थीगण

1 रामाराम पुत्र लच्छाराम 2  
किस्तुरीदेवी पत्नि मुलाराम जातियान  
सुथार निवासी प्रहलादसर, सांजटा  
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

1 हनुमानराम पुत्र किशनाराम 2 पुनमाराम पुत्र  
गोमाराम 3 सरूपाराम 4 रामाराम पिसरान  
टीलाराम 5 रामाराम पुत्र किशनाराम 6  
हरखाराम पुत्र भूराराम 7 लालाराम पुत्र सोनाराम  
जातियान जातियान सुथार निवासी प्रहलादसर,  
सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-517/2025

दिनांक- 23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रहलादसर पटवार हल्का सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के  
खसरा संख्या 922/536 रकबा 1.8439 हैक्टेयर व खसरा संख्या 929/918 रकबा 0.6075 हैक्टेयर,  
भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण  
को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन  
व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर)  
कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक  
हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 31.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/10176-10179

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रामाराम पुत्र लच्छाराम निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण हनुमानराम पुत्र किशनाराम वगैराह जातियान सुथार निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर